रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-12102023-249347
SG-DL-E-12102023-249347

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 305]	दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 11, 2023/आश्विन 19, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 249
No. 305]	DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 11, 2023/ASVINA 19, 1945	[N. C. T. D. No. 249

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2023

फा0 सं01(760)/प्रशा0/डीएससीएसटी/2023/25293.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 जी0एस0आर0 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में ''स्टाफ कार चालक, ग्रेड–I'' के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्न लिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :–

(i) इन नियमों को ''स्टाफ कार चालक, ग्रेड–I'' भर्ती नियमावली, 2023 कहा जाए।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :–पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, तथा अन्य योग्यताएं इत्यादि** :–उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता**:–वह व्यक्ति,

(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ii) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :–जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इस नियम के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव**:–इन नियमों में सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक अथवा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आरक्षण, आयु–सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में स्टाफ कार चालक, ग्रेड–I के पद हेतु भर्ती नियम

1.	2.	3.	4.	5.	6.
पदनाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**
स्टाफ कार चालक, (ग्रेड–I)	*02 (2023) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह–'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–5 (रुपये 29200–92300/–)	गैर चयन पद	लागू नही

7.	8.	9.
सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	**परिवीक्षा की अवधि (यदि कोई है)**
लागू नही	लागू नहीं	लागू नहीं

10.	11.
भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा...	**यदि पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ...**
पदोन्नति द्वारा	**पदोन्नतिः–** ग्रेड में 05 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर–4 (रुपये 25500–81100/–) में स्टाफ कार चालक (ग्रेड– II) अथवा स्टाफ कार चालक, ग्रेड– II तथा सामान्य ग्रेड में 13 वर्षों की संयुक्त सेवा सहित तथा उन्होनें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निर्दिष्ट ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण किया हो।

	टीपः— जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्तें कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, तथा उन्होने अगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होने अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है।

12.	13.
यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?	**वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**
पदोन्नति के विचारार्थ समूह–'ग', विभागीय पदोन्नति समिति 1. प्रधान सचिव/सचिव (लोक निर्माण विभाग) – **अध्यक्ष** 2. संबंधित विभागाध्यक्ष –**सदस्य** 3. उप–सचिव (शहरी विकास) –**सदस्य** **टीपः**— यदि विभागीय पदोन्नति समिति का अधिसूचित अध्यक्ष समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो पदोन्नति के विचारार्थ विभागीय पदोन्नति समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल,
के आदेश से और उनके नाम पर,

अमित कुमार पमासी, उप–निदेशक(प्रशा0)

DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SC/ST/OBC

NOTIFICATION

Delhi, the 10th October, 2023

F.1(760)/Admn/DSCST/2023/25293.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification number G.S.R. 840, dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of "Staff Car Driver, Grade-I" in the Department for the Welfare of SC/ST/OBC, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement:-** i) These rules may be called "Staff Car Driver, Grade-I" Recruitment Rules, 2023.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix-** The number of post, its classification and Level in the Pay matrix shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule attached with these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualification, etc.-** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matter relating thereto shall be as specified in the columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualifications-** No person,-

   (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

   Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax-** Where the Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rule with respect of any class or category of persons.

6. **Saving-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-serviceman or any special category of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF STAFF CAR DRIVER-GRADE-I IN THE DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SC/ST/OBC, GOVT. OF NCT OF DELHI

(Name of the post)	(Number of posts)	(Classification)	(Level in the Pay Matrix)	(Whether selection or Non –Selection post)	(Age limit for Direct Recruits)
1	2	3	4	5	6
Staff Car Driver (Grade-I).	02* (2023) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group- 'C' Non Gazetted, Non –Ministerial.	Level-5, (Rs. 29200-92300/-) of the Pay matrix	Non-Selection.	Not Applicable

(Educational & other qualifications required for Direct Recruits.)	(Whether age & educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees).	(Period of probation , if any)	(Method of Recruitment whether by Direct Recruitment or by Promotion …)
7	8.	9.	10.
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	By Promotion

(In case of recruitment by Promotion / Deputation /Absorption,)	(If a DPC exists, what is its composition)	(Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment)
11.	12	13.
Promotion: Staff Car Driver (Grade-II) in the Pay Level-4 (Rs. 25500-81100/-) of the Pay Matrix with 05 years of regular service in the Grade or with a combined service of 13 years in Staff Car Driver Grade-II and Ordinary Grade and have passed the trade test, specified by the Government, GNCTD. **Note:** *Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short*	**Group 'C' DPC for considering promotion:** 1) Principal Secretary/Secretary (PWD) - **Chairperson** 2) Head of Department Concerned - **Member** 3) Dy. Secretary (UD) - **Member** **Note:** Senior most member of the Departmental Promotion Committee for considering Promotion shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Departmental Promotion Committee happens to be junior to another member of the Committee.	Not applicable.

of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.		

By Order and in the Name of the Lt. Governor

of the National Capital Territory of Delhi,

AMIT KUMAR PAMASI, Dy. Director (Admn.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.